भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AB 860591

बकाया दस्तावेज 155500/- रुपये के
स्टाम्प पर वेष्ठित है।
स्टाम्प नम्बर 2858 वर्ष 2013

पढ़ा.....................
सुना.....................

1

I.1602/08

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

345938

2858
2013

किस्म दस्तावेज :— विक्रय विलेख

स्टाम्प :— 1,55,500 / —रू0

भूमि मूल्याकंन पेज नं0 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं0 1049 जो भाग 2 (ख) (I) पर स्थित है अर्द्धनगरीय क्षेत्र सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000 / —रू0 प्रतिहेक्टेयर से भूमि की मालियत 9,83,000 / —रू0 है विक्रय मूल्य 15,54,390 / —रू0 है विक्रय मूल्य मालियत से अधिक होने के कारण विक्रय मूल्य पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा.................

सुना.................

पढ़ा गया
मिलान किया

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 345939

(2)

1. भूमि का प्रकार :– कृषि भूमि

2. ग्राम :– ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी

3. सम्पत्ति का विवरण :– कुल विक्रयशुदा रकवा 1.228 है0

4. मापन की इकाई :– हैक्टेयर

5. सडक की स्थिति :– झाँसी ललितपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूर है आबादी से 250 मीटर से अधिक दूर है। किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है।

6. प्रतिफल की राशि :– 15,54,390/–रू0 में से 10,54,390/–रू0 नगद व 5,00,000/–रू0 जरिये चैक नं0 117375 दिनांक 15,04.2008 ई0 द्वारा आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक झाँसी का विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिये है।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा...............

सुना...............

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु   Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु   INDIA NON JUDICIAL   Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   (3)   345940

700 शब्द लगभग

सन्त कुमार रावत
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
15/4/2008

सेयत प्रतिनिधि इमामी
कोलकाता

7 :– प्रथम पक्ष की संख्या :– एक

8. द्वितीय पक्ष की संख्या :– एक

9. <u>नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण)</u>:– श्री रामसेवक तनय श्री अजुद्दी निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी

10. <u>नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण)</u> :– मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी

यह विक्रय आज दिनांक 15.04.2008 ई0 को श्री रामसेवक तनय श्री अजुद्दी निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बंसल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।

सन्त कुमार रावत
उप निबन्धक द्वितीय
झाँसी
15/4/2008

रामसेवक   Rajesh Bansal

रामसेवक   Rajesh Bansal

पढ़ा..................
सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

345941

<u>विक्रय सम्पत्ति का विवरण</u> :– आराजी मौजा ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खाता सं0	भूमिधरी नं0	रकवा
304	2020	0.016 है0
	2021	1.842 है0
	2022	0.125 है0
	2023/1	1.036 है0
	2034/2मि.	0.384 है0
	2035/2	0.085 है0
	2036	0.652 है0
	2038	0.251 है0
	2039	0.125 है0
	2040/2	0.304 है0

कुल 10 किता रकवा 4.820 है0 में से अपना सम्पूर्ण 1/4 भाग यानि 1.205 है0 वय किया है।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

R 20000 रु भारतीय गैर न्यायिक R 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

345942

(5)

खाता सं0	भूमिधरी नं0	रकवा
305	2034 / 1	0.032 है0
	2035 / 1	0.032 है0
	2040 / 1	0.028 है0

कुल 3 किता रकवा 0.092 है0 में से अपना सम्पूर्ण 1 / 4 भाग यानि 0.023 है0 वय किया है। उक्त भूमिधरी में कोई भी पेड़ व कुँआ नहीं है। उक्त भूमिधरी विक्रेता की पुश्तैनी है। भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सौंयम सिंचित है कृषि भूमि है। कुल लगान 42 / –रू0 वार्षिक है।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा.....................

सुना.....................

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रूपये

RUPEES

20000

रूपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

345943

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विध्न,प्रतिबन्ध,भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेतागण को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता,क्रेतागण को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार ,जो विक्रेंता को प्राप्त थे, वे क्रेतागण को प्राप्त हो गये है।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा........

सुना........

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) 345944

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतागण को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।

3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए ,सम्पत्ति क्रेतागण को सौप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेतागण अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगे।

4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार , उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

रामसेवक साहू

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा.................

सुना.................

पठन कर्ता.............

मिलान कर्ता.............

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) A 855360

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिल्कीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेतागण को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पडता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनो सम्पत्तियों के द्वारा क्रेतागण वसूल करने के उत्तरदायी होगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नही होगा।

6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यों का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।

7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते है, तब विक्रेतागण उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेतागण उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नही होगा।

रामसेवक Rajesh Bansal

रामसेवक Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

पठन कर्ता..........

मिलान कर्ता..........

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 855359

(9)

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झाँसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है।

10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य धोषित कर दिया जाता है तब क्रेतागण, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होगें।

रामसेवक

Rajesh Bansal

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा.....................

सुना.....................

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) A 855358

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेतागण एवं क्रेतागण शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेतागण तथा क्रेतागण ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणो एवं धराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ।

उक्त फर्म ने दिनांक 27.07.2007 ई0 को बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा प्रस्तुत है लिहाजा बदरुस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै।

Rajesh Bansal

Rajesh Bansal

पढ़ा..................

सुना..................

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 776613

दिनांक :– 15.04.2008 ई0

प्रारूपकर्ता :–

प्रस्तुत प्रलेख के निष्पादन का मसौदा/प्रारूप लिखा

श्री/श्रीमती अजय प्रकाश ...

निवासी ...

के द्वारा प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर निष्पादक Rajesh Bansal

रामसेवक

रामसेवक

Rajesh Bansal

पढ़ा..........

सुना..........

नक्शा–नजरी

...ता का नाम श्री रामसेवक
...का नाम श्री राजेश बंसल
... रौलार
...ल, परगना व जिला झाँसी
...म नम्बर 2022, 2023, 2038

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

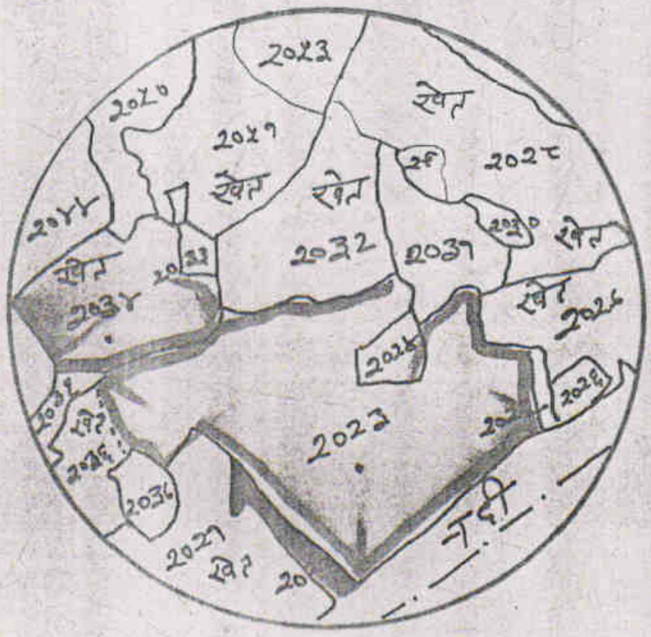

रामसेवक

Rajesh Bansal

MOHD. K...

...ताक्षर विक्रेता रामसेवक

हस्ताक्षर क्रेता Rajesh Bansal

L. No. ... Date ...

पढ़ा.....................

सुना.....................

नक्शा-नजरी

...का नाम-श्री राम सेवक

...का नाम-श्री राजेश बंसल

...खैलार

...सील, परगना व जिला झाँसी

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग) से प्रदर्शित है।

...नम्बर २०२०, २०२१, २०३५/२, २०३६, २०३८, २०३९, २०४०/२,

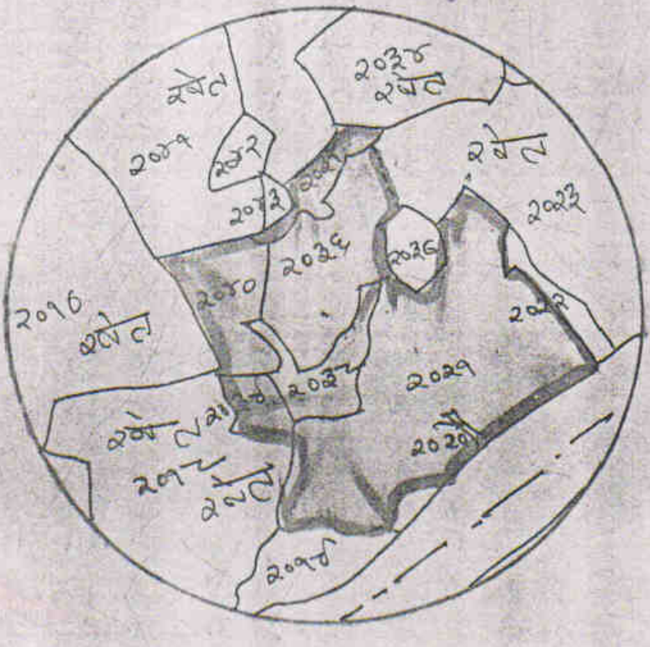

रामसेवक   Rajesh Bansal

हस्ताक्षर विक्रेता रामसेवक   हस्ताक्षर क्रेता Rajesh Bansal

MOHD. KAMRAN KHAN
DIWAN (CIVIL)
J. D. A. JHANSI
OFF. - 19, ...
JHANSI

पढ़ा..................
सुना..................